आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

वाद संख्या – 10 R 28/2000-01
टी0आर0न0 SR 28/08-09

राज्य सरकार बनाम मनोज कुमार अग्रवाल

आदेश

18.01.2010

यह वाद आरक्षी अधीक्षक (ग्रामीण) राँची के ज्ञापांक 2866 / अप0शा0 दिनांक 14.12.2000 के द्वारा खूँटी थाना कांड संख्या 11 / 2000 में जब्त सामग्री का अधिग्रहण हेतु प्रारंभ किया गया।दिनांक 17.02.2000 को वकील मरांडी प्र0आ0पदा0 मुरहू सह खूँटी, श्री सुरेन्द्र कुमार, डी0सी0एल0आर0, खूँटी एवं श्री भरत प्रसाद, प्रधान सचिव बाजार समिति, खूँटी के साथ श्री मनोज कुमार अग्रवाल, पिता महावीर प्रसाद अग्रवाल, खुदरा खाद्यान्न विक्रेता खूँटी अनुज्ञप्ति संख्या के0 एच0 2 / 91 की दुकान का औचक जांच किया गया। जांच के समय वस्तुओं का भंडार अधिक होने का संदेह के कारण दुकान को सील कर दिया गया। जिसकी सूचना थाना प्रभारी खूँटी को दी गयी थी। दिनांक 18.02.2000 को पुनः 10:00 बजे पूर्वाह्न में साथ में श्री बी0बी0पी0 गुप्ता सहायक आयुक्त वाणिज्य कर रांची तथा उक्त सील दुकान एवं गोदाम के दुकानदार के भाई संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष श्री भरत प्रसाद प्रधान सचिव, बाजार समिति, खूँटी के द्वारा दुकान का सील खोला गया। दुकान खोलने के पश्चात् वस्तुओं के भण्डार पंजी, बिक्री पंजी एवं कैश मेमो आदि मांगने पर उन्होनें प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात् दुकान एवं डी0ए0भी0 मार्केट स्थित गोदाम एवं मेलाटांड स्थित गोदाम में किये गये वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में वस्तु सामग्रियाँ पायी गयी जिसका कोई लेखापुश्त नहीं पाया। भौतिक सत्यापन में अन्य सामग्रियों के अलावे चावल का भंडार 112.75 क्विंटल पाया गया जो एक खुदरा खाद्यान्न अनुज्ञप्तिधारी बिक्रेता के लिए निर्धारित 100 (एक सौ) क्विंटल से अधिक मात्रा में पाया गया । दुकानदार के द्वारा कोई भी पंजी एवं कैश मेमो संधारित नहीं पाया गया । इस प्रकार दुकानदर द्वारा अनुज्ञप्ति के शर्तों का पालन नहीं किया जाना तथा चावल का

आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	निर्धारित मात्रा से अधिक पाये जाने के कारण उक्त चावल का अवैध भंडार को जब्त कर उनके पिता माहवीर प्रसाद अग्रवाल को अगले आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु जिम्मा दिया गया। उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा जी0एस0आर0 49 दिनांक 17.10.1985 का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रतिवादी से आवश्यक वस्तु अधिनियक की धारा 6 ए0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर उक्त अधिनियम की धारा 6 बी0 के अन्तर्गत कारण पृच्छा 52 की मांग हेतु नोटिस निर्गत किया गया कि क्यों नहीं जब्त सामग्री अधिग्रहित कर ली जाय। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा उपस्थिति दी गई तथा दिनांक 19.04.01 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया है कि यह वाद सत्य नहीं है। विपक्षी के दुकान से धारा 7 ई0सी0 में निर्धारित भंडारण से अधिक नहीं था। विपक्षी के दुकान से 87 क्विंटल चावल जब्त किया गया है। जो भण्डार क्षमता से अधिक नहीं है। उक्त जब्त चावल को माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद C.R.W.J.C No.- 2/2001 में दिनांक 12.01.01 को मुक्त कर दिया गया है अतः यह वाद चलने योग्य नहीं है। विपक्षी द्वारा अपने अपने पक्ष में (1) माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, रांची के वाद संख्या C.R.W.J.C No.- 2/2001 में दिनांक 12.01.01 को पारित आदेश की छायाप्रति। (3) माननीय एस0डी0जे0एम0, खूँटी के न्यायालय के वाद संख्या GR84/2000 में श्री सुरेन्द्र कुमार के गवाही की सच्ची प्रति। (4) सचिव, भारत सरकार के F11(7) 94 में दिनांक 27.01.1995 के द्वारा निर्गत पत्र की छायाप्रति। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तारपूर्वक किया गया बहस सुनने एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन के पश्चात् यह न्यायालय जब्त सामग्री अधिग्रहित करने का ओदश देती है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को दिखायें। लेखापित एवं संशोधित। 18.1.10 उपायुक्त, खूँटी। 18.1.10 उपायुक्त, खूँटी।	25/3/2010 13-4-10